

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- 05/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1
लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2023

कार्यालय जाप (संशोधन)

उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति, 2022 से सम्बन्धित परियोजनाओं की सहज संस्थापना हेतु राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत् परिवर्तन/परिवर्द्धन किया जाता है:-

“उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 से आच्छादित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-77(1) की भूमियों को छोड़कर धारा-59 की उपधारा-2 के खण्ड-(एक), (तीन) तथा (चार) की भूमि को 1 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर प्रशासकीय विभाग के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जो अपने स्तर से परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को उपलब्ध कराया जायेगा।“

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-1532/87-755-अति0ऊ0स्रो0/2022, दिनांक-26.12.2022 के क्रम में।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।